

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

क्रमांक / रीडर / 2024 / 282

दिनांक :- 05/08/24

आदेश

प्रार्थी की ओर से वकील श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम ने प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को सही करने हेतु "आवेदन रिकार्ड दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। नायब तहसीलदार पलसाना की रिपोर्ट दिनांक 12.01.2017 व दिनांक 29.01.2020 रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेज आदि की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की 136 एल.आर.एक्ट के अनुसरण में ग्राम अजबपुरा प0ह0 सांगरवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्यत 2076-2079 में खाता संख्या 55 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	अजबपुरा	55	गोरू पुत्र रूड़ा	गोरूराम पुत्र लादूराम

(गोविन्द सिंह भींचर)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

दिनांक :- 05/08/24

क्रमांक / रीडर / 2024 / 282

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़